

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

(के०प्रा०यो० (100%))

सं०-4 / नि०-सी०एस०एस०-61-02 / 2009- 165

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक- 21/3/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना मद में कुल ₹53.25 लाख (तिरपन लाख पचीस हजार रुपए) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार ने पत्रांक-145 दिनांक-12.03.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत सभी जिलों अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना मद में कुल ₹53.25 लाख (तिरपन लाख पचीस हजार रुपए) मात्र का स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार संलग्न विवरणी-1 के अनुसार सम्पूर्ण स्वीकृत राशि कुल ₹53.25 लाख (तिरपन लाख पचीस हजार रुपए) मात्र आवंटित की जाती है।

2- कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्कीम बजट मद में मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उप मुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-मांग संख्या-44-उप शीर्ष-0214- अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिये अम्ब्रेला स्कीम-विषय शीर्ष 0217.34.01 छात्रवृत्ति/वजीफा- विपत्र कोड 44-2225022770214 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3- इस आवंटित राशि का व्यय गत वर्ष के बकाया एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिये किया जा सकता है। परन्तु अलग-अलग वर्ष के लिए व्यय का लेखा अलग-अलग संधारित किया जायेगा ताकि यह स्पष्ट रहे कि किस वर्ष के लिए कितनी राशि व्यय किया गया।

4- इस आवंटित राशि के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे जो पूर्व से इस योजना के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं। संबंधित उप विकास आयुक्त इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। जिला स्तरीय छात्रवृत्ति समिति द्वारा स्वीकृत आवेदनों एवं अनुशंसा के पश्चात राशि का व्यय विभागीय संकल्प सं०-4061 दिनांक-16.05.2016, संकल्प सं०-3098 दिनांक-20.12.2017 एवं संकल्प संख्या-386 दिनांक-15.02.2018 तथा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निदेश के आलोक में किया जायेगा।

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति का भुगतान DBT के माध्यम से किया जाएगा। जिला स्तरीय छात्रवृत्ति चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में संबंधित संस्थान के बैंक खाते में अनिवार्य शुल्क की राशि एवं संबंधित छात्र/छात्रा के बैंक खाता में अनुरक्षण भत्ता की राशि का अन्तरण RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

जिला कल्याण पदाधिकारी उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

5- इस राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक-17-4-98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

6- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक। 21/3/18

ज्ञापक-4/नि0-सी0एस0एस0-61-02/2009- 165 पटना, दिनांक- 21/3/18

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2- अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय (शिक्षा प्रभाग), भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 को सूचनार्थ प्रेषित।

3- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5- अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी पदा0, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक (मु0), अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा0-5डी0, अनु0जाति एवं अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6- आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Form

निदेशक 21/3/18

विवरणी-1

वित्तीय वर्ष 2017-18 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना मद में पूरे वर्ष के लिए आवंटित राशि की विवरणी ।

क्रमांक	जिला का नाम	अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित राशि	
		प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति शीर्ष- 0217.34.01 कोड-44-2225022770214	विषय विपत्र
1	2	3	
1	रोहतास		3.75
2	भभुआ		3.50
3	भोजपुर		2.00
4	बक्सर		2.00
5	गया		3.00
6	नवादा		2.00
7	औरंगाबाद		2.00
8	सारण		3.00
9	सिवान		2.00
10	गोपालगंज		2.00
11	मुजफ्फरपुर		2.00
12	प० चम्पारण		5.00
13	पूर्णियां		3.00
14	अररिया		2.00
15	किशनगंज		2.00
16	कटिहार		4.00
17	भागलपुर		4.00
18	बौका		2.00
19	मुर्गेर		1.00
20	लखीसराय		1.00
21	जमुई		2.00
	कुल योग		53.25

तिरपन लाख पचीस हजार रू० मात्र

पत्रांक- 165

दिनांक- 21/3/18 का अनुलग्नक ।

allotment-plan-stipend- 17-18

[Signature]
निदेशक
23/3/18

[Signature]